16/10/24. पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी जिसमें पाया कि तहसीलदार रियांबड़ी से रिपोर्ट दो बार प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी संतुष्ट नहीं। रिपोर्ट द्वारा अस्पष्ट रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश कर गुमराह किये जाने का आरोप लगाया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज तहसीलदार रियांबड़ी की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर प्रार्थी के वाद खसरात की सीमाएं सुनिश्चित प्रतीत नहीं होता न्यायालय को लाजमी है समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 रा. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा रियांबड़ी के खसरा नं 946 रकबा 0.6100 हेक्टे. व खसरा नं 954 रकबा 0.5600 हेक्टे का राजस्व खसरा नक्शा अनुसार सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी किये जाने का तहसीलदार रियांबड़ी को आदेश दिया जाता है। उक्त की तहरीर तहसीलदार को जारी हो बाद पत्थरगढ़ी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। पत्रावली नंबर के कम करते हुए शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर